



2026:AHC:17869

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या -342 वर्ष 2026

श्रीमती शैली

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: सुशील कुमार पांडे

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार पांडे और राज्य-प्रतिपक्षी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की बात सुनी।
2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि याचिकाकर्ता वरिष्ठ सहायक के रूप में कार्यरत है, हालांकि, दिनांक 18.11.2025 के आदेश के अनुसार, कुछ कार्य उससे छीन लिए गए हैं।
3. विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को कोई कानूनी नुकसान नहीं हुआ है, विशेष रूप से तब जब वेतनमान आदि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
4. उपर्युक्त तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता के लिए यदि वह चाहे तो सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करना हमेशा खुला है।
5. पूर्व अवलोकन के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



27 जनवरी, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।